न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
115/2023

दायर दिनांक
04.04.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. चांदी देवी पत्नी श्री भंवरलाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. राजकुमार पिता श्री बरदीचन्द्र माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम, मालीखेड़ा, भीलवाड़ा
2. सोहनलाल पुत्र श्री धन्ना जी माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम, मालीखेड़ा भीलवाड़ा
3. अमित पुत्र उगर सिंह गोखरू उम्र वयस्क निवासी 11–12 पार्श्वनाथ सोसायटी, कांचीपुरम भीलवाड़ा
4. यश पुत्र श्री मीठालाल सिंघवी उम्र वयस्क निवासी ए–151–152, कुमुद विहार भीलवाड़ा राज0

विनोद कुमार पिता श्री गणपत लाल डांगी उम्र वयस्क निवासी 118 मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा

गिरधारी पुत्र हजारी गुजर उम्र वयस्क निवासी पालडी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

भोमा पुत्र हजारी गुजर उम्र वयस्क निवासी पालड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रकाश पुत्र श्री गिरधारी भील उम्र वयस्क निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, हरणीकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

स्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी कुन्दन लाल शर्मा
अप्रार्थी 04 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ा पालड़ी प0ह0 पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 936 कुल ा 01 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के च कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी राजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह पित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 9 के विरुद्ध दिनांक .06.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 8 के रुद्ध दिनांक 26.10.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 04 स्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही ये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का लोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में केत भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा पालड़ी प0ह0 पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 936 कुल ता 01 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन दमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात यम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु सीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त या जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा का आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाड निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा